उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-48/2017/201/92-2-2017-14जांच/2016
लखनऊ :: दिनांक:: 17 मार्च, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बाराबंकी में लगे पेडो को अनियमित ढंग से कटवाने की अनियमितता में अर्न्तग्रस्त कार्मिको को अपरोक्ष रूप से संरक्षण दिये जाने तथा अपने दायित्वों का निर्वहन न किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-65/2016/1928/92-2-2016-14जांच/2016 दिनांक 20-10-2016 द्वारा श्री राम प्रकाश सिंह, तत्कालीन प्रभारी निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-सहारनपुर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जॉच संस्थित करते हुये उक्त अनुशासनिक जॉच के सम्पादनार्थ निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जॉच अधिकारी परिवर्तित करते हुये शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-71/2016/2042/92-2-16-14जांच/2015 दिनांक 19-11-2916 द्वारा जॉच अधिकारी परिवर्तित करते हुये निदेशक एवं मुख्य अभिंयता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के स्थान पर विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- जॉच अधिकारी/विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन, के दिनांक 28-02-2017 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जॉच अधिकारी परिवर्तित करते हुये विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन के स्थान पर श्री गया प्रसाद कमल, विशेष सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को एतदद्वारा नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

4- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-48/2016/201/(1)/92-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जॉच अधिकारी/ श्री गया प्रसाद कमल, विशेष सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को पूर्व जॉच अधिकारी/विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन से प्राप्त समस्त अभिलेख मूलरूप में इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण की नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण करते हुये जांच आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- श्री आर0पी0 सिंह, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-सहारनपुर द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।